प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 57/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)
Radha Charnal Add: Chandpol Bahar, wad no. 25, Kankaroli, Rajsamand

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329867400587257 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम मावली के आराजी संख्या 788 के सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4314827114 दिनांक 24.02.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/57/62/373–74 दिनांक 24.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः रीडर/2026/154 दिनांक 12.03.2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि श्रीमान जिला कलक्टर(भू.अ.), उदयपुर के पत्र क्रमांक प–9/भू.अ./विविध/2025/8603–04 दिनांक 23.09.2025 से तहसीलदार मावली को ग्राम मावली की आराजी संख्या 788 के राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थिया को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय मावली के पत्रांक रीडर/2025/745 दिनांक 05.12.2025 से ग्राम मावली, पटवार हल्का मावली की आराजी संख्या 788 किस्म आबादी ग्राम पंचायत मावली आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की नकल जमाबन्दी प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं मावली द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 745 दिनांक 05.12.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.: 21782170
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by G[...]av Agrawal
Designation: Colle[...]r & District Magistrate
Date: 2026.04.2[...]4:01:06 IST
Reason: Approved